भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 761

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2024

प्रमुख योजनाओं में बजट में कटौती

761. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजनाएं, विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज राजसहायता और मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में उल्लेखनीय बजट कटौती के क्या कारण हैं;

(ख) अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान पर संभावित प्रभाव के आलोक में सरकार इन कटौतियों को किस तरह न्यायोचित मानती है;

(ग) इन बजट कटौतियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार आगामी बजट चक्रों में इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्त-पोषण की समीक्षा और बहाली पर विचार कर रही है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से (i) अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं और (ii) अल्पसंख्यकों के लिए विदेश में शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायता (पढ़ो परदेश) को बंद करने का निर्णय लिया है।

अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाओं को बंद करना नई शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप था। 2022-23 से योजना के अंतर्गत कोई नया लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया। इसके अलावा, वर्तमान में केवल प्रतिबद्ध देनदारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। तदनुसार, योजना के अंतर्गत बजट को आगामी वर्षों के लिए युक्तिसंगत बनाया गया था।

यह भी पाया गया है कि पढ़ो परदेश योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सहायता का लाभ सीमित था और यह अन्य मंत्रालयों जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य समान योजनाओं के साथ ओवरलैप भी है, जो पात्र अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी लागू हैं। उपर्युक्त ओवरलैप, सीमित लाभ और कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा को देखते हुए, 2022-23 से पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, 31.03.2022 तक योजना के मौजूदा लाभार्थियों को विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, उनके शिक्षा ऋण पर स्थगन अवधि के दौरान ब्याज सहायता मिलती रहेगी।

''मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम)'' 2020-21 तक शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग के कार्यान्वयन के अधीन थी और इसे कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस योजना को 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया था और इस प्रकार मंत्रालय द्वारा इसे केवल 2021-22 के लिए लागू किया गया था। तदनुसार, योजना के अंतर्गत बजट को आगामी वर्षों के लिए युक्तिसंगत बनाया गया था।

(ख) और (ग): हाल के वर्षों में सरकार ने मानदंडों को आसान बनाया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से सभी छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक ऋण आसानी से उपलब्ध कराए हैं। परिणामस्वरूप, "भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय बैंक संघ मॉडल शैक्षिक ऋण योजना" के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए पात्र ऋणी को ऋणदाता संस्थान द्वारा बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के स्वीकृत 7.5 लाख रुपये तक का शैक्षिक ऋण उच्च शिक्षा विभाग की 'शैक्षिक ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना' के अंतर्गत आता है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) भी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कम ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण प्रदान करता है।

(घ): मंत्रालय में अभी तक उपर्युक्त कार्यक्रम के वित्तपोषण की समीक्षा और पुन: आरंभ का कोई प्रस्ताव नहीं है।
